(b) if so, how much allocations have been made by Government on the modernisation of the DSP;

(c) at what stage the modernisation of the DSP stands; and

(d) by when the task likely to be completed?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) Yes, Sir.

(b) In the Seventh Plan (1985--90) Rs. 460 crores have been allocated for modernisation of Durgapur Steel Plant. Out of which for current year i.e. 1988-89 allocation of Rs. 160 crores have been made in the Budget estimate.

(c) Government having already accorded approval to the proposed renovation and technological upgradation of Durgapur Steel Plant, are presently examining the definitive cost estimates. In the meanwhile, bids received in response to tenders for 5 full and 1 part package out of a total of 6 global packages of work are under evaluation and orders for seven out of 10 indigenous packages have been placed. Preliminary site work has also started.

(d) The modernisation programme is likely to be completed by September, 1992.

Formulation of policies for the development of food Processing Industries

2796. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the PHD Chambers of Commerce and Industry has formulated a policy for the development of Food Processing Industries in the country;

(b) if so, the salient features of the said policy;

(c) whether Government propose to examine and implement the policy formulated by PHDCCI; and

(d) if so, by when and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) Various bodies and organisations including PHD Chamber of Commerce & Industry have been making suggestions from time to time regarding problems faced by the food processing industries and suggesting measures for their development. All these suggestions have been taken into account while evolving a package of measures for the development of food processing industries.

मध्य प्रदेश को लेवी चीनी, चावल और गेहूं का आवंटन

2797. **श्री अजीत जोगी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लेवी चीनी, चावल और गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने चावल का आवंटन बढाकर 35,000 मीटरी टन प्रति मास करने के लिए अनुरोध किया है और यह आवंटन नवम्बर, 1988 के 20,000 मीटरी टन से बढा कर दिसम्बर, 1988 में 25,000 मीटरी टन कर दिया गया है ।

चीनी और गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक लेवी चीनी का आवंटन करने का संबंध है, यह

आवंटन समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त मांग/अनुरोध के आधार पर नहीं किया जाता है

मध्य प्रदेश में पंजीकृत बीड़ी मजदूर

2798. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विधिवत पंजीकृत बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी मालिकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों को पंजीकृत नहीं किया जाता है ;

(ख) ऐसी स्थिति में जब कि बीड़ी मजदूर मालिकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों का पंजीकरण न करके उन्हें उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) बीड़ी मजदूरों का इस प्रकार शोषण किये जाने को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कोई नये कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश को कोई राशि आवंटित की गई है ;

(ङ) क्या सरकार बीड़ी मजदूर मालिकों द्वारा मजदूरों की हालत सुधारने के लिए और उनका शोषण रोकने के लिए कोई राशि अनिवार्यतः व्यय किये जाने हेतु कोई कानून बनाने पर भी विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) से (ग) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 में उन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने की व्यवस्था है जहां बीड़िया तैयार की जाती है तथा इस प्रकार कर्मकारों के रोजगार की शर्तों को विनियमित करने की व्यवस्था है । इस अधिनियम में विनिर्माताओं या ट्रेड मार्क धारकों के लिए बीड़ी लपेटने के लिए घरेलू कर्मकारों की शर्तों के विनियमन की भी व्यवस्था है । इस अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 के उपबंधों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामना की जा रही कुछ प्रशासनिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, अधिनियम मे कतिपय संशोधन करने हेतु 3-12-87 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था । अन्य अधिनियम, अर्थात बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 को केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है । बीड़ी कर्मकारों का पता लगाना आवश्यक है ताकि कल्याण निधि से उन्हें कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा सके । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियमावली, 1978 के नियम 41 में यह व्यवस्था है कि बीड़ी के निर्माण में लगा प्रतिष्ठान, कारखाना या ठेकेदार प्रत्येक कर्मचारी को पहचानपत्र जारी करेगा । नियोजक पहचान पत्रों को जारी करने में सामान्यतः अनिच्छुक पाये गये हैं । अतः विगत में श्रम कल्याण संगठन के अधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है जो पहचानपत्र जारी करने के लिए उक्त अधिनियम को लागू करते हैं । बीड़ी कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने हेतु कतिपय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचानपत्रों को स्वीकार करने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं । मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 5.78 लाख है । उनमें से 5.65 लाख कर्मकारों को पहचानपत्र जारी किए गए हैं । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम में हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि पहचानपत्रों को जारी करने के बारे में